



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-667

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 321494 दिनांक 28/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Re-Validation in issued Lease Deed(After 3 Years) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Durga Devi W/o Rajju Raibari एवं Mohan Lal Rebari S/o Rajju Rebari	श्री रज्जू रैबारी पुत्र श्री छाजूराम रैबारी	410B	45.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA Sector/Block-A	Re-Validation in issued Lease Deed (After 3 Years)	श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री रज्जू रैबारी एवं श्री मोहन लाल रैबारी पुत्र श्री रज्जू रैबारी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-410-बी क्षेत्रफल 45 व.मी. रामनगरिया का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या ए-410-बी क्षेत्रफल 45 व.मी. रामनगरिया की लीज डीड दिनांक 06.08.2003 को श्री रज्जू रैबारी पुत्र श्री छाजूराम रैबारी के पक्ष में जारी की गई है। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज अनुसार उक्त लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं है एवं तीन वर्ष से अधिक से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। लीज धारक श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								रज्जू रैबारी की मृत्यु दिनांक 25.04.2015 को हो चुकी है तथा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 14.09.2012 के अनुसार श्री कालू पति श्री छाजे के पुत्र मोहन को श्री रज्जू रैबारी द्वारा गोद लिया गया है। प्रकरण में जारी लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं है एवं उक्त लीज डीड को तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा प्रकरण मूल लीज धारक की मृत्यु हो चुकी है तथा आवेदक की श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री रज्जू रैबारी एवं श्री मोहन लाल रैबारी पुत्र श्री रज्जू रैबारी द्वारा लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Re-Validation in issued Lease Deed(After 3 Years) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Durga Devi W/o Rajju Raibari एवं Mohan Lal Rebari S/o Rajju Rebari को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।